



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1494 वर्ष 2026

विष्णु कुमार सैनी और 40 अन्य
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : शैलजा कांत त्रिपाठी
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : सीएससी

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलजा कांत त्रिपाठी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह की बात सुनी।
- याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे वर्तमान में मथुरा पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, दिनांक 22.12.2016 के सरकारी आदेश परिपत्र और दिनांक 07.10.2024 के पत्र के अनुसार उनके वेतन/मजदूरी में संशोधन किया जाना चाहिए और वेतन वृद्धि 01.07.2017 के बजाय 01.01.2017 से लागू की जानी चाहिए।
- इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादियों को दावे पर विचार करने का निर्देश दिया जाए।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं के दावे का प्रथम दृष्ट्या पांचवें प्रतिवादी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला मथुरा द्वारा निपटारा किया जाना आवश्यक है।
- इस प्रकार की दलील पर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
- दोनों पक्षों की दलीलों और उनके रुख पर विचार करते हुए, याचिका का निपटारा इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति सहित एक विस्तृत अभ्यावेदन पाँचवें प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। पाँचवें प्रतिवादी को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय कानून के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर करना होगा। यदि पाँचवें प्रतिवादी का मत है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।
- यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिका पर प्रतिवादियों से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना ही निर्णय लिया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह संकेत नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



8. उपरोक्त अवलोकन के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

4 फरवरी, 2026

एनएसआरथौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"